



प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 29.03.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी:-

1. अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ 02 आरोपी गिरफ्तार थाना मैनाठेर:-




अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अवैध शराब निर्माण / तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 29.03.2024 को उ0नि0 आशीष कुमार थाना मैनाठेर द्वारा मय हमराह पुलिस बल के आरोपीगण 1. रामवीर पुत्र स्व0 रामफल निवासी ग्राम संदलपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद, 2.अपसार पुत्र एहसान निवासी महमूदपुरमाफी थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद को करीब 20 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब व 1 kg यूरिया व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना मैनाठेर पर आरोपीगण उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-103/2024 धारा- 272 भादवि व 60(II) Ex Act पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2- अवैध चरस के साथ 02 आरोपी गिरफ्तार थाना मैनाठेर:-



अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों के निर्माण /तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तार हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 28.03.2024 को उ०नि० उम्मेद सिंह पोसवाल थाना मैनाठेर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के आरोपीगण 1.शाहनवाज उर्फ शानू पुत्र याकूब निवासी ग्राम डींगरपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद 2.सिराज पुत्र मौ० जहीर निवासी मियां कालौनी थाना मझौला जनपद मुरादाबाद को अवैध 1 किलो 900 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में आरोपीगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना मैनाठेर पर मु०अ०सं०-102/2024 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



3- अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ 01 आरोपी गिरफ्तार थाना ठाकुरद्वारा:-



अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अवैध शराब निर्माण / तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 28.03.2024 को उ0नि0 त्रिवेन्द्र कुमार थाना ठाकुरद्वारा द्वारा मय हमराही पुलिस बल के आरोपी सूरज सिंह पुत्र गोकुल सिंह निवासी ग्राम दारापुर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद को अवैध 20 ली0 कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना ठाकुरद्वारा पर आरोपी उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 140/2024 धारा- 60(2) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

4- अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ 02 आरोपी गिरफ्तार थाना कटघर:-



अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अवैध शराब निर्माण / तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 29.03.2024 को उ0नि0 ओम शुक्ला थाना कटघर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के आरोपीगण 1. शनी पुत्र शोलत निवासी हमसफर शादी हाल के पास थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद, 2. आलम पुत्र शहिद निवासी बारसी नगर थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद को अवैध 20 ली0 कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना कटघर पर आरोपी उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 134/2024 धारा- 60(2) आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

5- नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले जाने का आरोपी गिरफ्तार थाना बिलारी:-



अवगत कराना है कि दिनांक 16.03.2024 को वादिनी निवासनी थाना बिलारी क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी की पुत्री को बहला-फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0- 133/2024 धारा- 363/366 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार वांछित आरोपीगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 29.03.2024 को उ0नि0 साहब सिंह थाना बिलारी द्वारा मय हमराही पुलिस बल के आरोपीगण 1.अजय कुमार पुत्र धीरेन्द्र कश्यप निवासी ग्राम झंकडा थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद 2. पारस पुत्र राजबहादुर निवासी ग्राम असालतपुर थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

6- अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ 01आरोपी गिरफ्तार थाना मूढ़ापाण्डे:-



अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अवैध शराब निर्माण / तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व संलिप्त अपराधीयो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 29.03.2024 को व0उ0नि0 मदनपाल सिंह थाना मूढ़ापाण्डे द्वारा मय हमराही पुलिस बल के आरोपी कल्लू पुत्र लीलधर निवासी भजनपुरी थाना मूढ़ापाण्डे जिला मुरादाबाद को अवैध 40 लीटर शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार कगिया गया। इस सम्बन्ध में थाना मूढ़ापाण्डे पर आरोपी उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 166/2024 धारा- 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

7- थाना मैनाठेर पुलिस ने 01 वारण्टी को किया गिरफ्तारी:-



अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 29.03.2024 को थाना मैनाठेर पुलिस ने 01 वारण्टी नितिन गुप्ता पुत्र सर्वेश कुमार गुप्ता निवासी वघी गौवरधनपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद वारण्ट सम्बंधित मु0अ0सं0 43/2023 धारा 323/504/506/325 भादवि व 3(1)(द)/ 3(1)(ध)/ 3(2)(VA) एस सी / एसटी एक्ट को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

8- थाना कटघर पुलिस ने 01 वारण्टी को किया गिरफ्तारी:-



अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 29.03.2024 को उ0नि0 देवेन्द्र कुमार थाना कटघर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के 01 वारण्टी भागीरथ सिंह कश्यप पुत्र देवीदास निवासी डबल फाटक भदौरा थाना कटघर जनपद मुरादाबाद सम्बन्धित मु0नं0 3799/18 अ0सं0 537/17 धारा 63/65 कोपीराइट व 103/104 ट्रेड मार्क अधिनियम को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

9- थाना बिलारी पुलिस ने 03 वारण्टी को किया गिरफ्तारी:-



अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार वांछित/वारण्टीयों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 29.03.2024 को उ0नि0 नितेश सहरावत थाना बिलारी द्वारा मय हमराही पुलिस बल के 03 वारण्टी 1. नदीम पुत्र सगीर अहमद, 2.नफीस पुत्र खलील अहमद निवासीगण मौ0 बाजार कस्बा व थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद वारण्ट सम्बन्धित मुकदमा नं0 4933/19 अ0सं0 391/2018 धारा 323/342/506/504/324 भादवि0 व 3.होरीलाल उर्फ अंगा पुत्र बाबूराम निवासी मौ0 कोरियान कस्बा व थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद सम्बन्धित मुकदमा नं0 3960/2005 अ0सं0 202/1995 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

